ISSN : 2347-7660 (Print) | ISSN : 2454-1818 (Online)

भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं के वैधानिक अधिकार एवं स्थिति–विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ0 आलिया खातून,

असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षा शास्त्र विभाग, मथुरा पी0 जी0 कालेज रसड़ा बलिया,
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

शोध सारांश

भारतीय लोकतंत्र में स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है । संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों तथा अन्य कानूनों के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में सुधारात्मक परिवर्तन तो दिखायी देता है परन्तु यह नहीं कहा जा सकता की स्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं । महिला सशक्तिकरण के युग में महिला उत्पीड़न की घटनाएँ भी किसी न किसी रूप में होती रहती हैं। अधिकतर घटनाओं की विवेचना के उपरांत ये तथ्य सामने आया कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रहती । प्रस्तुत शोध पत्र में महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके प्रति हो रहे अपराधों को रोकने हेतु बनाये गये विधिक अधिकारों का विश्लेषण किया गया है, तथा महिलाओं के प्रति अपराधों की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण किया गया है ।

मूल शब्द–*लोकतंत्र, भारतीय संविधान, मौलिक अधिकार, महिलाओं के विधिक अधिकार*

भारत विश्व का विशाल लोकतांत्रिक देश है । एक लोकतांत्रिक देश में सभी को विकास के समान अवसर प्राप्त होते हैं तथा सभी नागरिकों को ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध होती है जिस से समाजिक और अर्थिक रूप से विकास कर सकें जब यही परिस्थितियां महिलाओं को उपलब्ध होती हैं तो समाज में महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन नजर आता है। लोकतंत्र के कारण ही यह संभव हो सका कि महिलाओं ने समान अधिकारों के लिये संघर्ष किया । आज अधिकांश लोकतांत्रिक देशों की महिलाओं को समाज में समानता का अधिकार मिला हुआ है।यह अधिकार एक लंबे संघर्ष का परिणाम है। भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज रहा है जिसमें सामाजिक रूढ़िवादी परंपराओं ने महिलाओं के अधिकारों का हनन किया है तथा महिलाओं के उत्पीड़न के लिए सामाजिक परंपराओं को आधार बनाया गया, जिससे कि महिलाएं सहन कर सकें । आज भी कुछ ऐसी रूढ़िवादी परंपराएं प्रचलन में हैं जो महिलाओं के उत्थान में बाधा उत्पन्न करती हैं। महिलाओं के प्रति हो रही आपराधिक घटनाएँ भी महिलाओं को कमजोर करती हैं, जिससे उनमें आगे बढ़ने के उत्साह एवं साहस में कमी आती है । भारत में प्रति दिन दिन बड़ी संख्या में महिलाओं के विरूद्ध अपराध होते रहते है । महिलाओं की सुरक्षा हर समय एक चिंता का विषय है, चाहे वह अपने घरों में हों, सार्वजनिक स्थानों पर हों या कार्यस्थल पर हों।देश में मी टू आंदोलन (Me Too Movement) ने सिद्ध कर दिया कि क्यूबिकल से लेकर कक्षाओं तक उत्पीड़न और शोषण मौजूद है। देश में कामकाजी महिलाएं आए दिन उत्पीड़न का सामना करती हैं। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की संख्या को देखते हुए, यह उचित है कि महिलाएं उन कानूनों के बारे में जागरूक हों जो उनकी सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। ऐसी समस्त

घटनाओं को रोकने के लिए संवैधानिक एवं वैधानिक व्यवस्थाएं की गयी हैं महिलाओं को सशक्त और जागरूक रहने के लिए सभी वैधानिक अधिकारों का ज्ञान आवश्यक है ।

महिलाओं के संवैधानिक अधिकार

संविधान के मौलिक अधिकारों में प्रदत्त महिलाओं के अधिकार निम्न हैं –

- भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि ''राज्य को कानून के समक्ष किसी व्यक्ति की समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा ''। समानता के इस अधिकार के अंतर्गत महिला और पुरुष में किसी प्रकार का भेद नहीं किया जायगा यह अधिकार महिला और पुरुष सभी समान रूप से प्राप्त है । अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य, किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई भेद भाव नहीं करेगा।
- अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तथा सम्पूर्ण भारत क्षेत्र में अबाध भ्रमण का अधिकार है यह प्रावधान महिलाओं के उत्थान के लिए आवश्यक है ।
- अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मनुष्यों के क्रय विक्रय विशेष रूप से स्त्रियों एवं बच्चों के क्रय विक्रय पर रोक लगाई गयी है तथा बेगार तथा बलात् श्रम को निषिद्ध घोषित किया गया है ।
- अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।

संविधान में मौलिक अधिकारों के अतरिक्त नीति निर्देशक तत्व में भी कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो महिलाओं की सुरक्षा के उपायों से संबंधित हैं

- अनुच्छेद 39 में शासन का दायित्व निर्धारित किया गया है वह ऐसे नियम एवं व्यवस्था बनाए जिसमें नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध हों, पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो तथा पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य, शक्ति तथा बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो और यह कि आर्थिक आवश्यकताओं से विवश हो कर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों ।
- अनुच्छेद 42 मानवीय कार्य की परिस्थितियां सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत प्रदान करने का प्रयास करता है। इसमें कहा गया है कि ''राज्य कार्य की न्यायसंगत और मानवीय स्थितियों को सुरक्षित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा''।
- अनुच्छेद 51 ए तथा 3 में कहा गया है कि यह हमारा दायित्व है कि अपनी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझते हुए ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के मान सम्मान के विरुद्ध हो ।

मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के अतिरिक्त 73वें और 74वें संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 243–डी में महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए स्थानीय निकाय के निर्वाचन में 33 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गयी ।

इस प्रकार ये तथ्य अवलोकन के योग्य है की संविधान ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान,

समानता, न्याय आदि के अधिकारों पर बहुत सूक्ष्मता पर ध्यान दिया है ।

महिलाओं को सशक्त करने एवं उनकी सुरक्षा के उपायों से संबंधित अनेकों अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया है कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम निम्न हैं :–

- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948:– इस अधिनियम में महिला और पुरुष श्रमिकों के बीच समान मजदूरी का प्रावधान किया गया है ।
- कारखाना अधिनियम 1948 एवं खान अधिनियम 1952 :–इन दोनों अधिनियम में यह प्रावधान है कि महिलाओं को 7 बजे सायं से प्रातः 6 बजे के बीच में काम पर नही लगाया जा सकता है और इसके साथ ही काम के दौरान उनकी सुरक्षा और कल्याण का भी ध्यान रखना भी अनिवार्य है ।
- दहेज निषेध अधिनियम (1961):– इस अधिनियम के द्वारा विवाह के पहले या बाद में दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में आता है ।
- मातृत्व लाभ अधिनियम (1961):– यह अधिनियम महिलाओं को बच्चे के जन्म से पहले 13 सप्ताह और जन्म के बाद के 13 सप्ताह तक वैतनिक अवकाश (PAID LEAVE) प्रदान करता है ताकि वह बच्चे की पर्याप्त देखभाल कर सके द्य इस गर्भावस्था के दौरान महिला को रोजगार से बाहर निकालना कानूनन जुर्म है ।
- समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976):– यह अधिनियम कहता है कि किसी समान कार्य या समान प्रकृति के काम के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान पारिश्रमिक का भुगतान प्रदान किया जायेगा। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव से रोकता है ।
- राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990:– भारत सरकार ने इस आयोग का गठन महिलाओं के संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों और अन्य सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों का अध्ययन और निगरानी करने के लिए किया है । राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 की धारा 10 के अधिदेश में यह प्रावधान है कि संविधान और अन्य कानूनों में जो महिलाओं को प्रभावित कर रहे हैं, उनका पुनर्विलोकन किया जाय और उनके संशोधनों की सिफारिश की जाय।।
- घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के द्वारा महिलाओं को सभी प्रकार की घरेलू हिंसा (शारीरिक,मानसिक,तथा भावनात्मक हिंसा) से संरक्षण का प्रावधान किया गया है।
- कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013:– इस अधिनियम में सार्वजनिक और निजी, संगठित या असंगठित क्षेत्रों के सभी प्रकार के कार्यस्थलों पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है ।

भारतीय दण्ड प्रक्रिया सहिंता 1973 एवं भारतीय दण्ड सहिंता 1860 में महिलाओं की सुरक्षा एवं गरिमा बनाए रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं :–

- भारतीय दण्ड प्रक्रिया सहिंता की धारा 46 (4) में प्रावधान है कि पुलिस किसी भी महिला की सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तारी नहीं करेगी।
- भारतीय दण्ड प्रक्रिया सहिंता की धारा 46 (1) गिरफ्तारी के समय महिला पुलिस होना अनिवार्य है। महिला पुलिस के बिना गिरफ्तारी नहीं होगी।

- भारतीय दण्ड प्रक्रिया सहिंता की धारा 154 में प्रावधान है कि सूचना मात्र पर ही पुलिस अधिकारी संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट दर्ज करेगा। भले ही घटना का कोई वादी हो अथवा नहीं।
- भारतीय दण्ड प्रक्रिया सहिंता की धारा 160 में प्रावधान है कि पुलिस को पीड़ित महिला का बयान लेने घर जाना होगा। वह थाने पर पीड़ित महिलाओं को नहीं बुला सकते।
- भारतीय दण्ड प्रक्रिया सहिंता की धारा 164 (ए) में पीड़ित महिलाओं को मेडिकल का अधिकार है। मेडिकल करने से पूर्व डाक्टर को पीड़िता की सहमति लेना आवश्यक है। इसके साथ ही घटना के 24 घंटे के भीतर मेडिकल कराया जाना जरुरी है।
- भारतीय दण्ड प्रक्रिया सहिंता की धारा 51 तथा 100 में कहा गया है कि किसी महिला की तलाशी या ऐसे मकान की तलाशी जहां केवल महिलाएं हो महिला पुलिस कांस्टेबल की उपस्थिति में की जायगी ।

उपर्युक्त वैधानिक एवं संवैधानिक प्रावधान महिलाओं को सशक्त बनाने में सहायक हैं, परंतु इसका लाभ केवल कुछ शिक्षित जागरूक एवं किसी विशिष्ट क्षेत्र में सक्रिय महिलाओं तक ही सीमित है । राजनीति में भी उच्च पदों तक महिलाएं पहुंची हैं खेल के क्षेत्र में, प्रशासनिक पदों पर तथा अन्य क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी मेहनत और संघर्ष से सफलता प्राप्त की है, परंतु यह सिक्के का एक ही पहलू है । स्वतन्त्रता के पश्चात इतने वैधानिक और संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद आज भी महिलाएं इतनी सशक्त नहीं हो सकीं कि उन्हें शोषण से मुक्ति मिल जाय । समाज में महिलाओं के विरुद्ध अपराध दिनों दिन बढ़ते ही नजर आते हैं । इसका प्रमुख कारण यह है कि भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है जो महिलाओं को कमजोर ही समझता है, जिससे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का हौसला बढ़ता है । यह भी सत्य है अधिकतर महिलाएं अपने अधिकारों एवं सुरक्षा उपायों के कानूनों से अनभिज्ञ हैं या अपने विरुद्ध हो रहे उत्पीड़न की घटनाओं को सहन करना उचित समझती है लेकिन कानूनी प्रावधानों का प्रयोग कर सुरक्षा उपाय नहीं करती । कई घटनाओं के विश्लेषण से यह तथ्य सामने आया कि अधिकतर महिलाएं कानूनी कार्यवाही से इसलिए डरती हैं कि यदि उन्होंने अपने विरुद्ध हो रही घरेलू हिंसा के विरुद्ध शिकायत दर्ज करायी तो उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा फिर ऐसी परिस्थिति में उन्हें अर्थिक, सामाजिक एवं और भी कई प्रकार के संकटो का सामना करना पड़ेगा । इसी डर से वह अपने विरुद्ध हो रही उत्पीड़न की घटनाओं को सहन करती रहती हैं । कितनी ही ऐसी घटनाएं एवं अपराध होते हैं जो सामने ही नहीं आ पाते ।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का विश्लेषण करने से पता चलता है कि विगत तीन वर्षों 2019,2020 एवं 2021 में महिलाओं के प्रति अपराध 2020 में नाममात्र कमी दिखी, परंतु 2022 में पुनः वृद्धि हो गई । इन अपराधों की दर प्रति एक लाख की आबादी में 2020 में 56.5% थी जो 2021 में 64.5% होगी

महिला अपराध से संबंधित राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े निम्न हैं

राज्य	2019	2020	2021
राज्य (28)	387997	357363	409273
केंद्र शासित प्रदेश(8)	17329	14140	19005
कुल योग	405326	371503	428278

स्रोत – http://nrcb.gov.in

यदि हम राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो का 2011 का रिकार्ड देखें तो कुल 228650 अपराध महिलाओं के प्रति हुए। और 2021 में बढ़ कर 428278 हो गये इस प्रकार अगर हम महिलाओं के प्रति अपराध की तुलना करें तो इसमें दस वर्षों में लगभग दो गुनी बृद्धि हुई है जो चिन्ता का विषय है।

- भारत के संविधान ने देश के हर एक नागरिक को उसकी क्षमता सिद्ध करने का अवसर दिया है । इसके द्वारा है नागरिक को बिना भेद भाव इस प्रकार का व्यक्तिगत सामाजिक, आर्थिक, और राजनैतिक वातावरण तैयार करने का प्रयास किया गया है, जो उसकी क्षमता का उच्चतम स्तर तक प्रयोग कर सके । संविधान लैंगिक समानता की गारंटी भी देता है । परंतु दुर्भाग्य यह है कि महिलाएं इन अधिकारों से या तो अनभिज्ञ हैं या इन अधिकारों का प्रयोग नहीं करना चाहती। देश के विकास के लिए, विकास के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है । यह तभी संभव होगा जब वह अपने अधिकारों को जानेंगी, और अपने अधिकारों को सकारात्मक रूप से प्रयोग करेंगी ।

इसलिए समय की आवश्यकता है कि महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने और शिक्षित हों, जागरूक रहें तथा सरकार, कानून और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समाज भी लोकतान्त्रिक भूमिका अदा करे तभी महिलाओं की सुरक्षा उपायों के लिए बने कानूनी प्रावधानों का लाभ वास्तविक रूप से दिखाई देगा ।

सन्दर्भ सूची

1. अग्रवाल, आर0सी0 एवं भटनागर, एम0 (2010) भारतीय संविधान का विकास तथा राष्ट्रीय आन्दोलन, एस0 चन्द्र एण्ड कं0 लिमिटेड नई दिल्ली।
2. चतुर्वेदी, एम0 (2021) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (28वां संस्करण), इलाहाबाद ला एजेन्सी पब्लिकेशन।
3. यादव, आर0 (2008) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (5वॉ संस्करण), सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद।
4. राष्ट्रीय महिला आयोग, http://ncw.nic.in
5. पाण्डेय, आर0 (2008), भारत का संविधान (41वाँ संस्करण), सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, दिल्ली।
6. Crime in India 2021, Statistics, vol-I, National crime Records Bureau Ministry of Home Affairs, govt. of India. New Delhi. http://ncrb.gov.in